



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 438]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 11, 2011/फाल्गुन 20, 1932

No. 438]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 11, 2011/PHALGUNA 20, 1932

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 मार्च, 2011

**का.आ. 509(अ).**—केंद्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है, की धारा 11 के अधीन जारी भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 795 (अ) तारीख 1 अप्रैल 2008 द्वारा मध्यप्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 3 के 84.700 कि.मी. से 167.500 कि.मी. (कालघाट - मध्यप्रदेश / महाराष्ट्र सीमा सेक्शन) तक के खंड को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) को सौंपा है ;

और उक्त अधिनियम की धारा 14 के उपबंधों के अनुसरण में, प्राधिकरण ने मध्यप्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 के 84.700 कि.मी. से 167.500 कि.मी. (कालघाट - मध्यप्रदेश / महाराष्ट्र सीमा सेक्शन) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त सेक्शन कहा गया है), तक के विद्यमान दो लेन वाली सड़क को चौड़ा करके चार लेन, दोहरे वाहन मार्ग को बनाने, के लिए उन्नयन प्रचालन और अनुसूचना जिसके अंतर्गत सुदृढीकरण करना और चौड़ा करना भी है, के लिए और निर्माण, प्रचालन और स्थानान्तरण (बी.ओ.टी) आधार पर मैसर्स एस ई डब्लू नवयुग बारवानी टोलवे प्राइवेट लिमिटेड ; जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय 6-3-871 स्नेहलता, पहला तल, ग्रीनलैंड्स रोड, बेगमपेट, हैदराबाद - 500016, भारत (जिसे इसमें इसके पश्चात् रियायतग्राही कहा गया है) के साथ करार किया है ;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग सेक्शन/राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थायी पुल/अस्थायी पुल के उपयोग के लिए किसी व्यक्ति द्वारा फीस का संग्रहण) नियम, 1997 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त सेक्शन के निर्माण, अनुसूचना, प्रबंध और प्रचालन में अन्तर्वलित व्यय, विनिधान की गई पूंजी पर

